

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार, 21 मार्च, 2003 / बैशाख 01, 1925 (शक)

संख्या: 253

सदस्य की नजर बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री राम भज को उनके समर्थकों सहित दिनांक 12/04/2003 को अपराहन 12.31 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत 7, पंडित पंत मार्ग, नई दिल्ली के सामने से नज़र बन्द किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 12/04/2003 को अपराहन 12.53 बजे, रिहा कर दिया गया।"

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Monday, 21th April, 2003 / Bhaishakha 01, 1925(Saka)

No. 253

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy. Commissioner of Police, New Delhi Disst., New Delhi:

"I have the honour to inform you that Shri Ram Bhaj, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his supporters was detained at opposite 7, Pandit Pant Marg, New Delhi. U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 12.31 P.M. on 12/04/2003.

He alongwith his supporters was released at 12.53 P.M. from Police Station Parliament Street, New Delhi on the same day i.e. 12/04/2003."

SIDDHARATH RAO
SECRETARY